संoसंo–16 / ए.1–07 / 2002

152(दे० चि०)
25/01/2016

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 22979 / 2013– दीनबन्धु कुमार कनौजिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.07.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन सं0 02 / 2007 के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के 13 (तेरह) आरक्षित पदों को बिहार आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विनिमय द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीद्वारों से भरे जाने के विभागीय निर्णय एवं इस आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 93 दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 13 अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन मूल कोटि के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 9300–34800 (पे बैंड–2) + ग्रेड वेतन 5400 में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–7 में अंकित पदस्थापन स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक / अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	स्थायी आवासीय पता	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री दीनबन्धु कुमार कनौजिया	09.01.1976	0041 / 14	अनुसूचित जाति	ग्राम–रजुआ बखरी, पो0–मेहसी, जिला–पूर्वी चम्पारण	सिविल सर्जन का कार्यालय, पटना
2.	श्री बसंत राम	16.01.1975	0063 / 15	अनुसूचित जाति	ग्राम–सालेपुर, पो0–सिंधिया, जिला–समस्तीपुर	सिविल सर्जन का कार्यालय, दरभंगा
3.	श्री सुनील कुमार पासवान	25.07.1976	0007 / 16	अनुसूचित जाति	ग्राम–रोहुआ, पो0–रोहुआ, जिला–समस्तीपुर	सिविल सर्जन का कार्यालय, वैशाली
4.	श्री उमेश कुमार	06.02.1975	0024 / 17	अनुसूचित जाति	ग्राम–धमौल, पो0–धनवा, जिला–नवादा	सिविल सर्जन का कार्यालय, पूर्णिया
5.	सुश्री कुमारी अर्चना प्रसाद	02.05.1975	0077 / 19	अनुसूचित जाति	ग्राम–परबत्ती, पो0–परबत्ती, जिला–भागलपुर	सिविल सर्जन का कार्यालय, बांका
6.	श्री अनुज कुमार	20.05.1978	0115 / 20	अनुसूचित जाति	ग्राम–कृष्णापुर, पो0–हिलसा, जिला–नालंदा	सिविल सर्जन का कार्यालय, जहानाबाद
7.	श्री मनोज कुमार राम	31.01.1977	0083 / 21	अनुसूचित जाति	ग्राम–एकमा, पो0–एकमा, जिला–सारण	सिविल सर्जन का कार्यालय, सीवान
8.	श्री राकेश अमन	02.01.1979	0009 / 23	अनुसूचित जाति	ग्राम–हरिबलमा, पो0–पचलखी, भाया–हथुआ, जिला–सीवान	सिविल सर्जन का कार्यालय, सारण
9.	श्री सत्येन्द्र कुमार सत्यपाल	15.03.1977	0023 / 24	अनुसूचित जाति	ग्राम–डिहरा, पो0–सिरसी डिहरा, जिला–नालन्दा	सिविल सर्जन का कार्यालय, पटना

10.	श्री संजय प्रसाद चौधरी	01.05.1974	0085/27	अनुसूचित जाति	द्वारा मनोज कुमार चौधरी, मु0–प्रसाद बिगहा (गली में), पो0–नवादा, जिला–नवादा	सिविल सर्जन का कार्यालय, पटना
11.	श्री अरविन्द कुमार	07.01.1978	0042/29	अनुसूचित जाति	ग्राम–लछुमनवा, पो0–अहिरौलिया, जिला–पूर्वी चम्पारण	सिविल सर्जन का कार्यालय, मुजफ्फरपुर
12.	श्री अशोक कुमार निराला	08.05.1978	0121/30	अनुसूचित जाति	ग्राम–माफी रोड वार्ड नं0–2, पो0–वारिसलीगंज, जिला–नवादा	सिविल सर्जन का कार्यालय, गया
13.	श्री गोपाल कृष्ण चौधरी	15.04.1979	0064/31	अनुसूचित जाति	प्रधानाध्यापक, पुरानी जेल रोड, हरिश्चंद्र स्टेडियम, नवादा, पो0 नवादा, जिला–नवादा	सिविल सर्जन का कार्यालय, नालंदा

2. सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये नियमानुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

3. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।

4. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2082, दिनांक 01.04.2003 के अनुपालनार्थ प्रत्येक अभ्यर्थी को उन्हें अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान के समय मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पन्द्रह दिनों के अन्दर स्तम्भ–7 में अंकित पदस्थापन स्थान के नियंत्री प्राधिकार संबंधित सिविल सर्जन को अपना योगदान देंगे तथा इसकी सूचना संबंधित नियंत्री प्राधिकार द्वारा निदेशक, (दे0चि0) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

7. सभी संबंधित सिविल सर्जन योगदान स्वीकृति के उपरांत नवपदस्थान से संबंधित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अन्य अस्पतालों में संबंधित नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने हेतु निदेशित करेंगे।

8. साक्षात्कार के उपरांत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र की मूल प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।

9. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 152 (दे0चि0) पटना/दिनांक– 25/01/2016

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

E:\A.K.Upadayay\notification.docx

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 93 दिनांक 31.12.2014 के आलोक में/निदेशक, देशी चिकित्सा, बिहार, पटना/सभी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/उप निदेशक, आयुर्वेद/प्रशाखा पदाधिकारी–16/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी अभ्यर्थी चिकित्सा पर्षद द्वारा योग्य पाये गये है।

3. संबंधित नियंत्री प्राधिकार/कार्यालय प्रधान/सिविल सर्जन से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा योगदान/प्रभार ग्रहण करने के संबंध में उपरोक्त शर्त्तो के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे।

152(दे० चि०)
25/01/2016

25/1/16

सरकार के संयुक्त सचिव